राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2230/2021

राम स्वरूप सांखला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.07.2021
आदेश की दिनांक : 04.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भरत यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा है:–

"It is therefore, most respectfully prayed that entire record of the case may be kindly be called for and this appeal may kindly be accepted and allowed and further the impugned order dated: 5.7.2021 (Annexure-1) deserved to be quashed and set-aside and order dated: 2.2.2021 (Annexure-2) upto the extent to the appellant may kindly be directed to modify as the name of the appellant as Teacher grade-I (urdu) from government senior high secondary school amet, Rajsamand to Government senior secondary school, Newai as well as other suitable vacant post in District Tonk and Jaipur

Any other appropriate order or direction, which this learned tribunal may deem just and proper, be passed in the interest of justice and to grant adequate relief to the humble appellant

The respondents be directed to consider the appellant for promotion in the year of 2019-2020 instead of 2020-2021 for the post of teacher grade I (Urdu) as against the review dpc order dated: 02.02.2021"

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–II के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अविका नगर, टोंक में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी संख्या–2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने आदेश दिनांक 05.07.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर

दिया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2019–20 में डी.पी.सी. आयोजित करने के समय आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने दिनांक 02.02.2021 (अनुलग्नक–2) को वर्ष 2020–21 के लिए संशोधित डी.पी.सी. आदेश जारी किया, जिसमें अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेट जिला राजसमंद में शिक्षक ग्रेड–I (उर्दू) के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 की नियमित एवं 2020–21 की रिव्यू डीपीसी गलत तरीके से करने, अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों के अपीलार्थी से उपर रखने एवं उन्हें इच्छित टोंक जिले में पदस्थापित रखने पर अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी के दिनांक 02.02.2021 आदेश को माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1134/2021 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को दो सप्ताह की अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण दो सप्ताह की अवधि में किया जावे तथा अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण के पश्चात् एक सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी को पदोन्नति पश्चात् पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की छुट प्रदान की जावे। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–2 के आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2021 द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया। इससे पहले प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 ने आदेश दिनांक 23.06.2015 द्वारा अपीलार्थी को क्रम संख्या 11 पर एस.सी. श्रेणी में शिक्षक ग्रेड–द्वितीय (उर्दू) के लिए पदोन्नत किया गया तथा मनोज कुमार को क्रम संख्या 12 पर एस.सी. श्रेणी में दिखाया गया (अनुलग्नक–5)। आदेश दिनांक 02.02.2021 में रिव्यू डी.पी.सी. में क्रम संख्या 1 पर मनोज कुमार को अपीलार्थी से वरिष्ठ दर्शाया गया। आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2021 में अपीलार्थी का अभ्यावेदन इस आधार पर खारिज किया कि डीपीसी वर्ष 2019–20 एवं रिव्यू डीपीसी 2020–21 के समय अपीलार्थी ने आपत्ति नहीं की। जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 18.11.2019 एवं 23.05.2020 को प्रत्यर्थी संख्या–3 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। जिसको नजर अंदाज कर अभ्यावेदन निस्तारित किया गया। दोनों अभ्यावेदन अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। अतः आदेश दिनांक 05.07.2021 अवैध होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की डीपीसी में पदोन्नति दी गई जबकि इससे कनिष्ठ कार्मिक को वर्ष 2019–20 की नियमित डीपीसी एवं 2019–20 की रिव्यू डीपीसी में पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी विभागीय त्रुटि के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहा। अतः अपील स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा समान अनुतोष में माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1134/2021 रामस्वरूप सांखला बनाम सरकार दिनांक 08.02.2021 को प्रस्तुत की गई थी, बहस के

दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अन्य आधारों को छोड़ते हुए अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने की सहमति जाहिर की गई, जिस पर माननीय अधिकरण द्वारा अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी को विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश/निर्णय दिनांक 09.02.2021 को पारित किया गया साथ ही माननीय अधिकरण द्वारा पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की छूट भी प्रदान की गई। आलोच्य आदेश दिनांक 02.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) (उर्दू) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाकर काउंसलिंग के माध्यम से अपीलार्थी की सहमति उपरांत अपीलार्थी को पदोन्नति पर राउमावि अविकानगर, टोंक से राउमावि आमेट, कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में पदस्थापित किया गया था। माननीय अधिकरण के आदेश दिनाक 09.02.2021 की अनुपालना में ही आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2021 पारित किया गया है तथा आदेश के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति पर कार्यग्रहण अवधि को भी दिनांक 10.07.2021 तक की अवधि के लिए बढाया गया था। व्याख्याता/प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तरीय पद है तथा वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक द्वित्तीय वेतन श्रंखला का पद मण्डल स्तरीय पद है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1970 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चयन वर्ष हेतु निर्धारित वर्गवार रिक्तियों के प्रति द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अंकित योग्यता के आधार पर निर्मित पात्रता सूची में से डीपीसी के द्वारा किया जाता है। प्रत्यर्थीगण द्वारा विभागीय कार्यप्रणाली के तहत वरिष्ठता सूचियों में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि या दर्ज सूचनाओं में संशोधन हेतु एक आवेदन प्रपत्र भी तैयार किया हुआ है जो कि केवल मात्र इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि विभागीय कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति उपरांत वरिष्ठता सूचियों में आवश्यक इन्द्राज, संशोधन, विलोपन एवं दर्ज सूचनाओं को संशोधित करवाया जा सकता है. वर्णित आवेदन पत्र में समस्त सुसंगत सूचना का अंकन भी किया जा सकता है जो कि किसी कार्मिक की वरिष्ठता सूची में इन्द्राज किये जाने हेतु आवश्यक है। वर्णित आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाईट (Official Website) पर भी उपलब्ध है (अनुलग्नक–आर/1)। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 09.02.2021 की अनुपालना जारी आदेश दिनांक 05.07.2021 में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा उर्दू की वर्ष 2019–2020 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.05.2019 के समय अपीलार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की संबंधित वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति वर्ग दर्ज नहीं था, इसलिए नियमानुसार अपीलार्थी उक्त चयन वर्ष हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन पर विचार किया जाना संभव नहीं था, अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति वर्ग का विवरण आदेश दिनांक 23.06.2020 के द्वारा अंकित किया गया एवं उक्त

विवरण अंकित होते ही प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (उर्दू) की वर्ष 2020–2021 की रिक्तियों के प्रति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.12.2020 में चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 05.07.2021 में यह भी स्पष्ट वर्णित किया गया है कि अपीलार्थी के स्वंय के द्वारा दिनांक 25.01.2021 को उपस्थित होकर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान विकल्पित करने हेतु विभाग द्वारा आयोजित परामर्श शिविर में राउमावि आमेट, राजसमन्द में पदस्थापन हेतु सहमति प्रदान की गई है ऐसी स्थिति में टोंक अथवा जयपुर जिले में पदस्थापन की मांग विचार योग्य नहीं है, साथ ही कांउसलिंग में सहमति प्रदान करने के उपरांत पदस्थापन आदेश पर कार्यग्रहण नहीं कर उस पदस्थापन आदेश को चुनौती प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील में अधिकरण के निर्देशों के तहत प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2021 द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी की विभागीय रिकार्ड में त्रुटिवश अनुसूचति जाति अंकित नहीं होने से उससे कनिष्ठ कार्मिकों की वर्ष 2019–20 में पदोन्नति होने एवं अपीलार्थी के वंचित रहने एवं रिकार्ड में संशोधन होने पर वर्ष 2020–21 में पदोन्नति होने के आधार पर पहले अपील प्रस्तुत की थी एवं अपीलार्थी के अनुरोध पर ही उसे प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को इस नियत समयावधि में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2021 में अभ्यावेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि संबंधित अवधि हेतु प्रकाशित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी के अनुसूचित जाति वर्ग का इन्द्राज आदेश दिनांक 23.06.2020 द्वारा किया, जो वर्ष 2019–20 की प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) उर्दू की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों हेतु डीपीसी बैठक आयोजित होने के बाद में किए जाने से वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति लाभ प्रदान करने एवं पदोन्नति पर स्थान परिवर्तन की मांग स्वीकार योग्य नहीं है एवं संशोधन के पश्चात अपीलार्थी की वर्ष 2020–21 में पदोन्नति की जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा निवेदन करने पर रिकार्ड में संशोधन हेतु प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय अविकानगर ने संयुक्त निदेशक मंडल अजमेर को पत्र दिनांक 18.11.2019 द्वारा निवेदन किया गया। इस पत्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 की डीपीसी एवं रिव्यू डीपीसी के बाद यह पत्र लिखा गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश में मंडल एवं राज्य स्तर पर वरिष्ठता

सूचिया प्रकाशित कर आपत्तिया आमंत्रित करने की पूरी प्रक्रियाका हवाला दिया गया है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अभ्यावेदन निस्तारण के आलौच्य आदेश में समस्त तथ्यों का पूरा विवेचन कर युक्तियुक्त आख्यात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य